प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
03.12.2025 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

राष्ट्रपति–दिव्यांगजन पुरस्कार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि किसी समाज को सही मायने में तभी विकसित कहा जा सकता है जब दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके साथ दया नहीं, बल्कि सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम में उन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।

इधर प्रदेशभर में दिव्यांगजनों के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

प्रश्नकाल

राज्य सरकार 12 लाख 4 हजार 8 सौ 70 अवैध कब्जाधारी परिवारों की सुप्रीमकोर्ट में लड़ाई लड़ेगी ताकि इन परिवारों को बेघर होने से बचाया जा सके। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधायक जीत राम कटवाल द्वारा पूछे गए सवाल के उत्तर में दखल के दौरान ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नामी वकीलों को खड़ा करेगी ताकि इन कब्जाधारी परिवारों के खिलाफ प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में इन्हें राहत दिलाई जा सके। इससे पहले, मूल प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 2002–03 में एक ऐसी नीति लाई, जिसमें अवैध कब्जाधारियों के कब्जे नियमित करने की बात कही गई। इस नीति के तहत प्रदेश में एक लाख 60 हजार से अधिक लोगों ने रातोंरात आवेदन कर दिया और ये सभी अवैध कब्जे सामने आए हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा बनाए गए कानून 163–ए को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, इसलिए इस समस्या के लिए पूर्व भाजपा सरकार जिम्मेदार है।

विधेयक बिल

हिमाचल प्रदेश में रेरा के अध्यक्ष या सदस्यों के चयन के उद्देश्य से गठित की जाने वाली समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर राज्य के मुख्य सचिव को रेरा चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने को लेकर विधानसभा में पेश किए गए हिमाचल प्रदेश भू–संपदा विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2025 को आज विपक्ष की गैरमौजूदगी में ध्वनिमत से पारित किया गया। विधेयक के पारित होने से पहले विपक्षी भाजपा सदस्य विरोध स्वरूप सदन से उठकर बाहर चले गए थे। इस विधेयक के पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद ही रेरा संशोधन विधेयक प्रदेश में लागू होगा। इससे पहले, सदन में विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्वाल ने सरकार से संशोधन विधेयक को वापिस लेने की मांग की। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा सदस्यों ने कहा कि रेरा केंद्रीय कानून है और प्रदेश सरकार इसमें संशोधन नहीं कर सकती। चर्चा के उत्तर में हस्तक्षेप करते हुए

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि रेरा का अध्यक्ष सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित कोई भी व्यक्ति बन सकता है।

विधेयक बिल–2

उन्होंने कहा कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों से जुड़े नियमों में संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को है। उन्होंने कहा कि रेरा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी आदेश नहीं आया है और सरकार हाईकोर्ट का आदर करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा राजनीतिक मकसद से इस मामले को तूल दे रही है। इससे पहले, नगर व ग्रामीण नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि रेरा के मामले का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हवा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा को मुख्य सचिव को रेरा अध्यक्ष नियुक्त करने पर आपत्ति क्यों है जबकि पूर्व भाजपा सरकार के समय मुख्य सचिवों को रेरा अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

सिकंदर

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज संसद में बताया कि कुल्लू से मनाली लैफ्ट बैंक राजमार्ग के विस्तार की डीपीआर का कार्य सौंप दिया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिंकदर कुमार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत अध्ययन और चर्चा के बाद पर्यावरणीय चिंता सहित सभी पहलुओं पर विचार करते हुए तकनीकी अध्ययन के आधार पर डीपीआर को अंतिम रूप दिया जाता है।